रीडर्स कनेक्ट

हमें भेजें

खबरें | समस्याएं | सुझाव
फोटो | वीडियो | पॉडकास्ट

ई-मेल: manojsingh@in.patrika.com
वॉट्सएप: 6264511866

पढ़ें ज्यादा खबरें, देखें फोटो/वीडियो
patrika.com/satna-news/
क्यूआर कोड को मोबाइल से करें स्कैन

हमसे जुड़ें
www.facebook.com/SatnaMpPatrika

शहर मौसम

तापमान

25.8° अधिकतम | 23.2° न्यूनतम

ह्यूमिडिटी : 72% (अधिकतम)
हवा की गति : 40 किमी/घंटा

फोरकास्ट

बादल छाएंगे, बारिश की संभावना
(सोर्स- मौसम केंद्र सतना)

पॉल्यूशन स्तर (AQI)

सतना	105
रीवा	99
सीधी	98
सिंगरौली	110

अच्छा	ठीक	मध्यम
0-50	51-100	101-200
खराब	**गंभीर**	**खतरनाक**
201-300	301-400	401-500

ब्रीफ न्यूज

अपेक्स बैंक के प्रशासक आज आएंगे रीवा

रीवा. मप्र राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव 20 सितंबर को तीन दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचेंगे। जिला महाप्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेंद्र पांडेय के अनुसार प्रशासक शाम 7 बजे मैहर से रवाना होकर रात 8.30 बजे रीवा पहुंचेंगे। 21 सितंबर को सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी करहिया में बलराम महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सेवा सेतु अभियान की समीक्षा बैठक होगी। शाम 6 बजे वे जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। 22 सितंबर को सुबह 9 बजे रीवा से मऊगंज रवाना होकर दोपहर 12 बजे बलराम महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सीधी के लिए प्रस्थान करेंगे।

गृह विभाग के आदेश का विरोध

सतना. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के विरोध में शासकीय अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल 21 सितंबर को भोपाल पहुंचेगा। संघ के महासचिव रमेश मिश्रा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव विधि विभाग एवं संचालक लोक अभियोजन से मुलाकात कर आदेश में मौजूद वैधानिक विसंगतियों को बिंदुवार रखेगा, निरस्त करने की मांग करेगा। मांग उठाई कि जब तक इन विसंगतियों का स्थायी निराकरण नहीं हो जाता, तब तक नई पदस्थापनाओं पर रोक लगाई जाए।

उच्च शिक्षा, घटिया निर्माण: उद्घाटन के 6 माह बाद भी पूरी तरह नहीं बन पाया भवन

नए भवन का उपयोग शुरू होने के पहले ही दीवार में दरार, फिर भी शिफ्टिंग की तैयारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रीवा. लाडली लक्ष्मी मार्ग में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय (एडी रीवा) का नया भवन बना है। इस नए भवन का अभी उपयोग शुरु भी नहीं हुआ और इसके पहले ही भवन की दीवारों में कहीं-कहीं दरार दिखने लगी हैं। फाल सिलिंग का काम भी गुणवत्तापूर्ण नजर नहीं आ रहा है। भवन के फर्श ठीक ढंग से ठेकेदार द्वारा साफ नहीं कराया गया, जिसके चलते एडी रीवा कार्यालय द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों से भवन की साफ-सफाई और फर्नीचर को व्यवस्थित करवा रहा है। गौरतलब है कि एडी रीवा कार्यालय का यह नया भवन 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बना है। पीडब्ल्यूडी की शाखा पीआईयू की निगरानी में इस भवन का निर्माण हुआ है। पीआईयू ने जिस एजेंसी को निर्माण का ठेका दिया था, उस निर्माण एजेंसी पर पहले भी गुणवत्ताहीन कार्य के आरोप लग चुके हैं। संभवतः यही वजह थी कि गत 29 मार्च को भवन का उद्घाटन हो गया लेकिन हस्तांतरण नहीं हुआ था। तत्कालीन अधिकारियों ने क्रेडिट लेने के लिए जल्दीबाजी में इस निर्माणाधीन भवन का उद्घाटन करा दिया था। भवन का उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी अधूरे काम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। फिर भी, जिम्मेदारों के कान में जूं नहीं रेंगी। हालांकि उसके बाद एडी रीवा कार्यालय ने काम पूरा करने पर हैंडओवर की बात कही। जैसे-तैसे ठेकेदार ने कुछ काम किया और फिर जल्दी से भवन हैंडओवर कर इतिश्री कर ली।

कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा कार्यालय

गौरतलब है कि एडी रीवा कार्यालय के अंतर्गत रीवा व शहडोल संभाग के 9 जिले के 88 सरकारी कॉलेज आते हैं। इस लिहाज से पुराने कार्यालय में फाइलों का अंबार लगा हुआ है। अब नए कार्यालय भवन के मिलने से जगह की कमी तो दूर हो जाएगी। इसके बावजूद कर्मचारियों की कमी होने से नए कार्यालय की रौनक कितने दिन साथ देगी, इस पर संशय है। एडी रीवा कार्यालय कर्मचारियों की बेहद कमी से जूझ रहा है।

बिजली नहीं, नई लिफ्ट रही बंद

नए भवन के आधे हिस्से में शनिवार को बिजली सप्लाई चालू नहीं मिली। एमसीबी बोर्ड के पास शार्ट सर्किट की स्थिति भी बनी है। साथ ही, दो मंजिला भवन में लगी नई लिफ्ट भी चालू नहीं थी। मौके पर रहे कर्मचारियों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। उक्त घटनाक्रम की जानकारी ठेका एजेंसी को दी गई है। अब ठेका एजेंसी संबंधित गड़बड़ी में सुधार कार्य कराया जाता है या नहीं, यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा।

अगले सप्ताह तक होने लगेगा संचालन

बता दें कि अभी तक एडी रीवा कार्यालय अभी पुराने स्थान शिल्पी प्लाजा में ही लग रहा है। अब इस हफ्ते से कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करने की कार्यवाही चल रही है। दस्तावेजों के बंडल नए कार्यालय भवन में पहुंचाए जा रहे हैं।

> नए भवन का हस्तांतरण हो चुका है। अब कार्यालय शिफ्ट कर रहे हैं, अगले सप्ताह तक नया कार्यालय व्यवस्थित हो सकता है। वहां पहुंचने के बाद जो कमियां नजर आएंगी, उसमें सुधार के लिए एजेंसी को पत्र लिखेंगे।
>
> **डॉ. महेंद्रमणि द्विवेदी,** एडी

अभियान, जन-जन तक पहुंचेगा सेवा का संदेश

बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभारी मंत्री ने वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाने दिए निर्देश

रीवा @ पत्रिका. प्रभारी मंत्री एवं पंचायत-ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों पर आयोजित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि अभियान के पहले दिन रक्तदान शिविर में 501 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जबकि जिले में 17 सितंबर को 13 लाख 50 हजार आशीर्वाद के दीप जलाए गए। ऐसे ही, 7 अक्टूबर को सभी छह विधानसभा क्षेत्रों से सेवा कलश यात्रा निकलेगी और 10 अक्टूबर को नगरीय निकायों व जनपद पंचायतों में सेवा सेतु कार्यक्रम होगा। इसमें विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने सेवा संकल्प यात्रा के ठहराव स्थलों पर अनिवार्य रूप से पौधरोपण और पौधों की सुरक्षा के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने शहर की बाढ़ समस्या पर मंत्री ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्ययोजना बनाने को कहा। नदी और बड़े नालों के प्रवाह में बाधक अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने, नालों की सफाई तथा पक्कीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने बताया कि आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों की सलाह से बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार की जा रही है। बैठक में विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी राज तथा विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति ने अभियान के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पंचूलाल प्रजापति, उपाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पांडेय, जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ता, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

यातायात व्यवस्था, गोल पार्क द्वार के पास अव्यवस्था से कारोबार प्रभावित

पुराने बस स्टैंड मोड पर ई-रिक्शा का जमघट, पूरे दिन जाम से जूझ रहे राहगीर और व्यापारी

रीवा @ पत्रिका. पुराने बस स्टैंड से गोल पार्क जाने वाले मार्ग पर ई-रिक्शा की बेतरतीब पार्किंग ने राहगीरों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। मोड़ पर ई-रिक्शा ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे यह कोई निर्धारित पार्किंग स्थल हो। सड़क के एक हिस्से में रिक्शों का जमघट और दूसरी ओर वाहनों की आवाजाही के कारण रास्ता संकरा हो जाता है। क्षेत्र में दिनभर जाम जैसी स्थिति बनी रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने बस स्टैंड से गोल पार्क की ओर जाने वाले मार्ग पर बसों का भी आवागमन होता है। ऐसे में मोड़ पर खड़े ई-रिक्शा यातायात के लिए जगह कम कर देते हैं। यदि सामने से चार पहिया वाहन आ जाए और चालक कॉफी हाउस की ओर से निकलने का प्रयास करे तो संकरे मार्ग में वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार दोनों ओर से वाहनों के आने पर राहगीरों और वाहन चालकों को रास्ता मिलने में काफी समय लग जाता है। राहगीरों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ई-रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए सड़क के बीच में ही वाहन खड़ा कर देते हैं। दूसरे रिक्शा चालकों को सवारी न मिले, इस होड़ में सड़क पर रुकने से यातायात और प्रभावित होता है। कुछ मामलों में चालकों के बीच विवाद और दबाव बनाने जैसी स्थिति भी सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी जगह कम बचती है। क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि ई-रिक्शा के जमघट के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकान के सामने और रास्ते पर वाहन खड़े रहने से व्यापारिक सामान लाने-ले जाने वाले वाहनों को निकालने में परेशानी होती है। संकरे रास्ते और लगातार खड़े रिक्शों के कारण ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी शिवम गुप्ता ने बताया कि दुकान से व्यापार संबंधी वाहन निकालने में ई-रिक्शा के कारण काफी परेशानी होती है। स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों का कहना है कि ई-रिक्शा चालकों के लिए प्रशासन को उचित स्टैंड या निर्धारित पार्किंग व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी स्थान पर वाहन खड़ा कर देने से सड़क पर जाम लगता है।

मां तुझे सलाम योजना, दल को किया रवाना

रीवा में पर्यटन की असीम संभावनाएं: उप मुख्यमंत्री

रीवा. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश और विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने भोपाल संभाग से आए युवाओं के दल को मां तुझे सलाम योजना के तहत रीवा भ्रमण के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत युवा दो दिनों तक जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इनमें महामृत्युंजय मंदिर, संग्रहालय, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, पुरवा प्रपात और बसामन मामा गौ अभ्यारण्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा हाईवे, रेल और हवाई सेवा से जुड़ा है। क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपात और धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने संजय गांधी अस्पताल के परिसर में निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय कैंसर अस्पताल एवं पीजी छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने और समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पत्रिका PUBLICATION

अक्षरों से उपजा
अर्थ तक पहुँचा एक भाव

अक्षर यात्रा

खरीदने के लिए स्कैन करें

बल्क ऑर्डर हेतु संपर्क करें: +91 9928191763

समान पुलिस कर रही घटना की जांच

युवक की मौत पर हत्या का मामला दर्ज, दूसरे दिन हुआ पोस्टमार्टम

रीवा @ पत्रिका. संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। परिजन घटना के बाद से ही हत्या का आरोप लगा रहे थे। पुलिस अब इस मामले के संदेहियों की तलाश कर रही है। प्रखर शुक्ला निवासी नेहरु नगर अपने दो अन्य दोस्तों के साथ गुरुवार की रात बाइक में सवार होकर जा रहा था जिसको रतहरा के समीप पीछे से आई कार ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई थी। कार से टक्कर मरने वाले आरोपी का युवक से पुराना विवाद चलता था जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने कार का बारीकी से परीक्षण किया। घटना को समझने का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए थे जिसकी वजह से शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

एक साल पूर्व हुआ था विवाद: प्रखर शुक्ला का एक साल पहले संदेही शुभम मिश्रा से विवाद चलता था और तभी से उनके बीच रंजिश चल रही थी। गुरुवार की रात युवक जब दोस्तों के साथ देखा तो उसने संदेही को खड़े देखा था और गाड़ी स्पीड चलाकर वहां से निकलने का प्रयास किया लेकिन कार से आकर उन्होंने टक्कर मार दी। कार में पांच लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है।

मरीज की मृत्यु, परिजनों ने लगाया उपचार में लापरवाही का आरोप

रीवा. संजय गांधी अस्पताल में भर्ती मरीज की मृत्यु होने पर परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। बांसघाट निवासी चंद्रमणि वर्मा गत 14 सितंबर को अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आईसीयू वार्ड में भर्ती हुए थे। मृतक मरीज के पुत्र दीपक वर्मा ने बताया कि सामान्य बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्स-रे व अन्य जांचों के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि फेफड़े, किडनी और लीवर में इंफेक्शन है। दीपक ने आरोप लगाया कि गंभीर स्थिति में भी मरीज को वार्ड में भर्ती करने के लिए करीब घंटेभर तक बिस्तर नहीं मिला। फिर उसके बाद जैसे-तैसे इलाज शुरु हुआ तो आईसीयू वार्ड की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके बारे में जानकारी दी तो डॉक्टर और नर्स अभद्रतापूर्वक बात करने लगे। इस लापरवाहीपूर्ण इलाज के बीच शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हर एक काम के लिए यहां परिजनों को भटकाया जाता है। कोई समस्या हो तो डॉक्टर से बताने पर वह नर्स के पास भेज देते हैं। नर्स के पास आओ तो वह वार्ड बॉय के पास भेजते हैं और वार्ड बॉय से कहो तो वह वापस डॉक्टर के पास भेजते हैं। इस तरह की मनमानी व्यवस्था के चलते इलाज कम और परेशानी ज्यादा होती हैं।

केनरा बैंक Canara Bank
Syndicate

स्पेशलिज़्ड एआरएम शाखा: अन्नपूर्णा भवन,
नेमा हार्ट हॉस्पिटल के पास, आईएसबीटी के सामने, विजय नगर,
दीन दयाल चौक, जबलपुर, एमपी-482002. Mob.- 6232018014

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) अधिनियम 2002 (नियम 2002 का 54) के साथ पठित, संक्शन 13(12) नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है। अतः ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम 8 एवं 9 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। ऋणियों/जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के 30 दिनों के अन्दर अपनी बकाया राशि का भुगतान कर अपनी संपत्ति वापिस प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा ऋण न चुका पाने की स्थिति में बकाया राशि के समायोजन के लिए बंधक संपत्ति का विक्रय कर दिया जायेगा। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों हेतु केनरा बैंक, शाखा - केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड ARM शाखा, जबलपुर

	खाता क्र./ ऋणियों / जमानतदारों का नाम व पता	मांग सूचना की तारीख कब्जा लेने की तारीख	बंधक अचल संपत्ति का विवरण
1.	मैसर्स रोहित प्लाईवुड मालिक: श्री रोहित कुमार तिवारी पता 1: वार्ड क्रमांक 6 कोठी, हुजूर रीवा, रीवा म.प्र. पता 2: खसरा नंबर 297/3, सिया कॉम्प्लेक्स के पास, जोरी रिंग रोड, जोरी, रीवा, म.प्र. श्री रोहित कुमार तिवारी (मालिक) पुत्र श्री शिव कुमार तिवारी पता: वार्ड क्रमांक 06, कोठी रीवा, म.प्र. श्री शिव कुमार तिवारी (गारंटर एवं बंधक) पुत्र स्वर्गीय सतानंद तिवारी पता: वार्ड क्रमांक 1 कोठी, सौर, रीवा म.प्र.	25.05.2026 18.09.2026 Amount Outstanding as per demand Notice as on 25.05.2026 Rs.1,09,22,195.91 + Interest & Other Charges	1. प्लांट और मशीनरी का हाइपोथैकेशन (गिरवी रखना) 2. खसरा नंबर 306/3, रकबा- 0.047 हेक्टेयर, स्थान- गाँव- कोठी- 101, पटवारी हल्का- कोठी, R.I.C.- रीवा, तहसील- पुराना हुज़ूर, नया हुज़ूर नगर, ज़िला- रीवा, मध्य प्रदेश CERSAI एसेट ID- 200082935777 सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में- शिवकुमार तिवारी की ज़मीन, दक्षिण में- रीवा-गढ़ी रोड, पूर्व में- संपत तिवारी की ज़मीन, पश्चिम में- कमल तिवारी की ज़मीन सम्पति स्वामी - श्री शिव कुमार तिवारी

Date - 20-09-2026
प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग, आक्रोश बढ़ने पर आंदोलन की बन रही रणनीति

डिप्टी सीएम के निर्देश के बावजूद एसजीएमएच के आउटसोर्स कर्मियों को समय पर नहीं मिला वेतन

रीवा @ पत्रिका. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल, ओपीडी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन फिर अटक गया। इस बार अगस्त पेड सितंबर का वेतन अभी तक ठेका कंपनी ने नहीं कराया। जबकि प्रत्येक माह की 5 तारीख को वेतन भुगतान के आदेश शासन ने दिए हैं।

विगत महीने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान करने और गड़बड़ी करने वाले कंपनी के अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद ठेका कंपनी हाइट्स द्वारा नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाइट्स कंपनी से पेटी में ठेका लेने वाली एजाइल कंपनी भी इसी ढर्रे पर चल रही है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित इन चारों अस्पतालों में लगभग 1230 के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। इन कर्मचारियों के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक महीने करीब ढाई करोड़ रुपए वेतन भुगतान ठेका कंपनी को किया जाता है। महाविद्यालय से समय पर भुगतान मिलने के बाद भी ठेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन जारी करने में देरी की जाती है। इससे कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कर्मचारियों की परेशानी को अनदेखा कर कंपनी प्रबंधन लगातार मनमानी करती आ रही है। सूत्रों की माने तो कॉलेज से वेतन भुगतान के लिए मिलने वाली बड़ी राशि को कुछ समय बैंक में रोककर कंपनी ब्याज कमाती है। इस फेर में कर्मचारियों के वेतन में देर होती है। कर्मचारियों ने शिकायत में उल्लेख किया कि मप्र उच्च न्यायालय ने गत 1 अप्रेल 2024 से अप्रेल 2025 तक एरियर्स भुगतान करने के आदेश दिए थे, जिसका पालन अभी तक ठेका कंपनी ने नहीं किया। विगत अगस्त महीने में जब उपमुख्यमंत्री से शिकायत की गई तो उनके समक्ष तत्कालीन डीन ने 10 दिन में एरियर्स राशि भुगतान कराने का आश्वासन दिया लेकिन उक्त भुगतान अब तक नहीं हुआ। कर्मचारियों की माने तो राष्ट्रीय अवकाश में काम करने का पैसा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कंपनी को दिया है लेकिन कंपनी ने उसे कर्मचारियों के खाते में नहीं भेज रही है।

शिकायत करने पर मिलती है प्रताड़ना

बताते हैं कि मामले को जब भी वेतन व अन्य भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर मंत्री व अन्य अधिकारियों के समक्ष शिकायत की जाती है तो कंपनी के अधिकारी द्वेषभावना से अकारण संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी कर देते हैं। काम से निकालने की धमकी देते हैं। इसके अलावा, तय काम के अतिरिक्त काम का बोझ लादकर कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तमाम जिम्मेदारों के कहने पर भी कंपनी का मनमाने रवैये में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

22 को प्रदर्शन की तैयारी में कर्मचारी

दस महीने से आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं। फिर भी ठेका कंपनी की मनमानी जारी है। आगामी 22 सितंबर को रैली निकालकर श्रम अधिकारी को ज्ञापन दे सकते हैं।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सीओ एसएएम, कटनी : प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा,
झर्रा तिकुरिया, कटनी - 483501 (म.प्र.)
ईमेल - coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय -27.10.2026 सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 26.10.2026

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द) ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा : त्योंथर (म.प्र.) 1. एस.के. हॉन्डा, प्रो. श्री सत्यम केशरवानी पिता श्री भरतलाल केशरवानी (उधारकर्ता), पता- बगेड़ी, सोहागी हाईवे, चाकघाट त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) पिन 486226, 2. श्री नारायण दास केशरवानी पिता श्री जगजीवन लाल केशरवानी (जमानतदार एवं बंधककर्ता), पता-जनपद कॉलोनी के पास, पथामा, वार्ड नंबर 06, त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) पिन 486220	अचल संपत्ति का समस्त भू भाग व अंश खसरा नंबर 57/2/1/2, क्षेत्रफल 30 फीट x 70 फीट = 2100 वर्ग फीट, व्यावसायिक उपयोग के लिए 03.11.2022 के आदेश से परिवर्तित की गई, मौजा - चुनारी, पीएच नंबर 22, आरएनएम-गिर्द, ब्लॉक और तहसील- त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) में स्थित, 12.12.2023 को रजिस्टर्ड सेल डीड के अनुसार चतुर्सीमा, चतुर्सीमा : पूर्व- संध्या मिश्रा का प्लॉट, पश्चिम- दिनेश पांडे की भूमि, उत्तर- नहर, दक्षिण- त्योंथर सोहागी रोड, मालिक : श्री नारायण दास केशरवानी पिता श्री जगजीवन लाल केशरवानी	अ) 31.01.2025 ब) 11.04.2025 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू 37,13,588.86 + ब्याज एवं अन्य व्यय	अ) 26,77,000.00 ब) 2,67,700.00 स) 25,000.00 द) 27.10.2026

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। (2) संपत्तियों की बिक्री "जो है, "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर होगी। (3) ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (4) विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। (5) संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट www.pnbindia.in, https://baanknet.com पर विजिट करें।

स्थान: कटनी, दिनांक 19.09.2026
पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी